

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.


वाद पत्र संख्या :- 220/2024

1. सुरेश कुमार	पुत्रगण स्व. सन्त कुमार	जाति बिश्नोई
2. सुनील कुमार		निवासी 83 एलएनपी
3. संजय कुमार		जोड़किया तहसील
4. विनोद कुमार		
5. प्रदीप कुमार पुत्र स्व. राजेन्द्र पाल		पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
6. कलावती देवी पत्नी स्व. राजेन्द्र कुमार		
7. नवनीत पुत्र अश्वनी कुमार जाति		

वादीगण -

बनाम

1. शांति देवी पत्नी स्व. राममूर्ति जाति बिश्नोई निवासी 83 एल.एन.पी जोड़कियां तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. अश्वनी कुमार पुत्र स्व. राममूर्ति जाति बिश्नोई निवासी 83 एल.एन.पी जोड़कियां तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. कमला देवी पुत्री स्व. राममूर्ति पत्नी राधेश्याम जाति बिश्नोई निवासी राजकीय अस्पताल के पास श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. अनुराधा पुत्री स्व. राममूर्ति पत्नी बद्रीप्रसाद जाति बिश्नोई निवासी 41 एल.एन.पी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. विमला देवी पुत्री स्व. राममूर्ति पत्नी हनुमान जाति बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. कमला देवी पत्नी उदयपाल
7. अमितकुमार पुत्र उदयपाल
8. विकास पुत्र उदयपाल
9. सरलादेवी पत्नी सतपाल
10. अरविन्द पुत्र सतपाल
11. शकिला पुत्री सतपाल पत्नी राजेश जाति बिश्नोई निवासी एफ.न. 73, थर्ड फ्लोर, फ्लेट नं. डी-85, मंगलम शहर, बी-ब्लॉक, हमौज कालवार रोड़, झोटवाड़ा जयपुर तहसील व जिला जयपुर राजस्थान।
12. सुरेश कुमार आदि बनाम शांति देवी आदि अलकेश पुत्र सतपाल जाति बिश्नोई निवासी लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
13. बिरमा देवी पुत्री मामराज पत्नी भागचन्द जाति बिश्नोई निवासी 35 एस.टी.जी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।


सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

14. रामस्नेही पुत्री भागवन्ती-राजाराम पत्नी आन्नद कुमार जाति बिश्नोई निवासी 2 टी. के तहसील रायसिंहनगर जिला अनुपगढ़।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

प्रतिवादीगण -

**दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा
निर्णय**

दिनांक :- 04-12-24

वादीगण की ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 की ओर से श्री संदीप सैन अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए सहमती एवं प्रस्तुत इकबाल दावा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है:-

1. चक 38 एमओडी के खाता संख्या 60/34 की 15.150 हैक्. भूमि में वादी संख्या 1 से 6 एवम् प्रतिवादीगण के नाम दर्ज 2.526 हैक्. भूमि व चक 38 एमओडी के खाता संख्या 42/39 की 0.759 हैक्. भूमि में वादी संख्या 1 से 6 व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज 0.148 हैक्. भूमि के वादी संख्या 1 से 4 सुरेश, सुनिल, संजय व विनोद कुमार को ब. हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. चक 37 एमओडी के खा.स. 66/42 की 3.289 हैक्. भूमि का वादी संख्या 7 नवनीत खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. चक 10 बीएलडब्ल्यू के खा.स. 5/108 के प.न. 45/250 (61) किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की 3.795 हैक्. भूमि वादी संख्या 1 से 4 को ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प.न. 47/250 (59) किला नं. 1/1 से 3/2, 8 ता 13, 18 ता 23 की 3.795 हैक्. नहरी मय खाला भूमि वादी संख्या 5 व 6 को ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. तहसील पदमपुर के चक 84 एलएनपी के खा.स. 79/71 की 3.9730 हैक्. भूमि में से वादी संख्या 1 से 4 को प.न. 0 मु.न. 69 के किला नं. 5, 6, 15, 16 की 1.012 हैक्., 25/0.228, 4/.197, 7/.197, 14/.197, 17/.197, 24/.174 पूर्व दिशा कुल 2.202 हैक्. बाराणी भूमि ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी संख्या 5 व 6 को इसी चक के प.न. 0 मु.न. 69 के किला नं. 2, 3, 8, 13, 18 की 1.265 हैक्., 23/0.228, 4/0.056, 7/0.056, 14/0.056, 17/0.056, 24/0.054 पश्चिम दिशा कुल 1.771 हैक्. बाराणी भूमि ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। खातेदार काश्तकार घोषित किया किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ व तहसीलदार पदमपुर जिला श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बाराणी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 04-12-24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा